कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ

पत्रांक 1988 / 8C दिनाँक 3-11-15

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशा0),
बदायूँ।

विषय:– यू.पी.रोड साइड लैण्ड कंट्रोल एक्ट 1645 के अन्तर्गत श्री मोहम्मद हवीबुर्रहमान पुत्र श्री इमदादुल हक अध्यक्ष सवेरा फाउन्डेशन एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट 41ए, डी0डी0ए0 फ्लैट माता सुन्दरी रोड, न्यू देहली द्वारा रफिया कालेज ऑफ एजूकेशन विद्यालय भवन निर्माण हेतु बिसौली सहसवान मार्ग के किमी0 31(30.600) में अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 162/एल.ए.सी. दिनांक 04.06.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र सं0 110/8सी0 दिनांक 19–01–2012 ग्राउण्ड फ्लोर की संस्तुति की जा चुकी है। आवेदक द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा प्रथम तल एवं द्वितीय तल निर्माण की अनुमति चाही गयी है जो कि निम्नलिखित शर्तो के अनुसार निर्माण की संस्तुति की जाती है।

1. आवेदनकर्ता को स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त कोई परिवर्तन एवं संशोधन करने की आज्ञा नहीं है।
2. प्रस्तावित स्थल की लम्बाई तक मार्ग के किनारे प्रार्थी को स्वयं अपने खर्चे पर पक्की नाली का निर्माण करवाना होगा।
3. प्रस्तावित निर्माण स्थल की कुर्सी लेवल एवं सामने की ढाल पक्की सड़क के लेवल से इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए जिससे भवन का पानी सड़क पर वहने लगे।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने जाने के लिए पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण आवेदक को अपने खर्चे पर कराना होगा।
5. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य मार्ग के मध्य से दोनो तरफ 220 फिट की दूरी तक कोई स्थाई निर्माण न कराया जाये।
6. स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भवन का कोई भी भाग छज्जा/चबूतरा आदि विभाग की भूमि अथवा सड़क की ओर निकालने की आज्ञा नहीं है।
7. भूमि स्वामित्व सम्बन्धी परीक्षण संलग्न खतौनी से कर लिया गया फिर भी आप अपने स्तर से भी भूमि स्वामित्व सम्बन्धी जाँच कराने का कष्ट करें। भूमि स्वामित्व सम्बन्धी एवं अन्य कोई विवाद न्यायालय में आता है तो वह विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। विवाद उत्पन्न होने पर मानचित्र पर की गई संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

अतः उपरोक्त शर्तो के आधार पर स्थाई निर्माण 220 फिट (67 मीटर) के बाहर कराने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

संलग्नः– मानचित्र दो प्रतियों में।

3/11/15
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ।

पत्रांक / दिनाँक

प्रतिलिपिः–1 सहायक अभियन्ता, प्रथम निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ को सूचनार्थ प्रेषित।

2 अवर अभियन्ता(प्रा0), खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ को सूचनार्थ एवं रजिस्टर पंजिका अंकित करने हेतु।

संलग्नः–मानचित्र एक प्रति में।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ।

अनापत्ति–पत्र

श्री हबीबुर्रहमान पुत्र श्री इमदादुलहक निवासी सहसवान बिसौली रोड तहसील सहसवान जनपद बदायूँ को बिसौली सहसवान मार्ग के किमी 31(30.600) पर राफिया कालेज आफ एजुकेशन विद्यालय भवन का नव निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु किये गये आवेदन–पत्र पर अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लो0नि0वि0, बदायूँ एवं तहसीलदार, सहसवान से आख्या प्राप्त की गयी।

तहसीलदार, सहसवान ने अपनी आख्या दिनांक 20–01–2016 में स्पष्ट किया है कि निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का सम्बंध किसी शासकीय भूमि/ग्रामसमाज की भूमि से नहीं है तथा प्रश्नगत निर्माण गाटा संख्या–228 रकबा 0.936 स्थित ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली बाहर चुंगी सहसवान तहसील सहसवान, जनपद बदायूँ पर किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता, (नि0खण्ड), लो0नि0वि0बदायूँ ने अपने पत्र संख्या 1988/8सी दिनॉक 03–11–2015 में अंकित 01 ता 07 शर्तो के अधीन निर्माण हेतु अनापत्ति दिये जाने की संस्तुति की गयी है, जो सम्मुख प्रस्तुत आदेश की पुस्त पर अंकित है। अधिशासी अभियन्ता की उक्त आख्या में अंकित शर्त 01 ता 07 इस आदेश का अंग रहेंगी।

अतः अधिशासी अभियन्ता,(नि0खण्ड), लो0नि0वि0 बदायूँ एवं तहसीलदार, सहसवान की उक्त आख्या के आधार पर उक्त आवेदक श्री हबीबुर्रहमान पुत्र श्री इमदादुलहक निवासी सहसवान बिसौली रोड तहसील सहसवान जनपद बदायूँ को बिसौली सहसवान मार्ग के किमी 31(30.600) पर राफिया कालेज आफ एजुकेशन विद्यालय भवन का नव निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता, (नि0खण्ड), लो0नि0वि0बदायूँ के उपरोक्त पत्र में अंकित 07 शर्तो के अधीन अनापत्ति दी जाती है। यह अनापत्ति आवेदक के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित स्थल पर पूर्ण स्वामित्व एवं निर्विवादित होने की दशा में ही वैध होगी।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन),
बदायूँ।

कार्यालय जिलाधिकारी,बदायूँ।

संख्याः 568 /आ0ले0/2015–16 दिनांकः फरवरी, 3 2016

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– अधिशासी अभियन्ता,(निर्माण खण्ड),लो0नि0वि0बदायूँ को उनकी आख्या दिनांक–03–11–2015 के क्रम में सूचनार्थ।

2– श्री हबीबुर्रहमान पुत्र श्री इमदादुलहक निवासी सहसवान बिसौली रोड तहसील सहसवान जनपद बदायूँ को तद्नुसार अनुपालनार्थ।

03/02/16

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन),
बदायूँ।